



Vidya Sanskar Public School

Kauriya Kala, Adalhat Mirzapur U.P.

Affiliated to CBSE, New Delhi

Contact Details.: 9919892129

स्थानांतरण प्रमाण पत्र/TRANSFER CERTIFICATE

विद्यालय सं./School No.: 55375	पुस्तक नं./Book No.: 1	क्रम सं./S.R. No.:
प्रवेश सं./Admission No.: 273	Affiliation No.: 2131979	Renewed upto
Status of School:	Registration No. of the Candidate (IX to XII)	

1. विद्यार्थी का नाम/Name of Pupil: SHRUTI PATHAK
2. माता का नाम/Mother's Name: MRS. SUMAN PATHAK
3. पिता का नाम/Father's Name: ASHOK KUMAR PATHAK
4. राष्ट्रीयता/Nationality: Indian
5. क्या अनु. बाहि/बा० जा० पिछड़ा वर्ग से संबंधित है:
Whether the Pupil belongs to SC/ST/OBC Category: No
6. विद्यालय में प्रवेश पाने की तिथि एवं कक्षा : Date of first admission in the School with Class: 08-04-13 (Class: 7)
7. प्रवेश पुस्तिका के अनुसार जन्म तिथि/Date of birth (in Christian Era) according to Admission Register:
(अंको में/In figures) 25-12-2001 (शब्दों में/In words) Twenty Five December Two Thousand One
8. वह कक्षा, जिसमें विद्यार्थी ने अंतिम अध्ययन किया है(अंको में/In figures) 12
Class in which the pupil last studied: (शब्दों में/In words) Twelve
9. पिछले विद्यालय/बोर्ड/परीक्षा एवं परिणाम:
School/Board Annual examination last taken with result: Passed
10. क्या अनुचर्चा हो गया/गई, यदि हाँ तो उसी कक्षा में एक बार/दो बार:
Whether failed, if so once/twice/in the same class: Not Applicable
11. अध्ययन किए गए विषय/Subjects Studied:
12. क्या उच्च कक्षा के प्रोग्राम के योग्य है, यदि हाँ तो किस कक्षा में:
Whether qualified for promotion to the higher class, if so, to which class:
(अंको में/In figures) (शब्दों में/In words)
13. क्या विद्यार्थी ने विद्यालय की सभी देय राशि का भुगतान कर दिया है:
Whether the pupil has paid all dues to the Vidyalaya Yes
14. शुल्क में कोई रियायत ग्रास की है, यदि हाँ, तो यह रियायत किस प्रकार की है:
Any fee concession availed of: if so, the nature of such concession: Not Applicable
15. कुल विद्यालय दिवसों की संख्या/Total no. of school days: 200
16. कुल उपरिचित विद्यालय दिवसों की संख्या /Total no. of school days present: 185
17. क्या विद्यार्थी एन० सी० सी० कैडेट/स्काऊट है (विवरण दें): Not Applicable
Whether NCC Cadet/Boy Scout/Girl Guide (details may be given):
18. विद्यार्थी ने किन-किन खेलों अथवा सह पाठ्यचर्या सम्बन्धी क्रियाकलापों में आग लिया
(उसमें ग्रास उपलब्ध का उल्लेख करें): Not Applicable
Games played or extra curricular activities in which the pupil usually took part
(mention achievement level therein):
19. सामान्य आचरण/General conduct:
20. प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की तारीख/Date of application for certificate: 03-Jul-2019
21. प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि /Date of issue of certificate: 04-Jul-2019
22. विद्यालय छोड़ने का कारण/Reason for leaving the School: CLASS 12TH PASS
23. कोई अन्य टिप्पणी/Any other remarks:

जांचकर्ता (पूरा नाम और पदनाम लिखें)
Checked by (Name & Designation)

प्राचार्य (मोहर सहित)
Sign. of Principal with Official Seal

* स्थानांतरण प्रमाणपत्र केवल नियमित प्राचार्यीडप्राचार्य के हस्ताक्षर से जारी किया जाना चाहिए और इस पर ऐसे अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए जो राज्यासन्धित संघ राष्ट्र के शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय नियोक्तक/शिक्षा उपनियोक्तक/शिक्षा अधिकारी के स्तर से नीचे का न हो। यदि कोई विद्यार्थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित किसी विद्यालय के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध दूसरे विद्यालय में अंतरण चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी के पिछले विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाणपत्र भारत में बोर्ड के केंद्रीय अधिकारी अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त अथवा उपनियोक्तक, नवोदय विद्यालय समिति अथवा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय स्थित बोर्ड के अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो चाहिए और भारत से बहार स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्बन्धित विद्यालय द्वारा किये गए स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर प्रधम सचिव/अताशो/सांस्कृतिक अताशो उसके समकक्ष भारत दूतावास/उच्च आयोग में कार्यस्थल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए ऐसे प्रतिहस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बिना विद्यार्थी को विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जायेगा।

* Transfer certificate should be issued only under the signatures of the regular Principal/Vice Principal and it should be counter-signed by an officer not below the rank of District Inspector of Schools/Deputy Director of Education/Education Officer of the Education Department of the State/Union Territory concerned. In case of a student migrating from one CBSE affiliated school to another CBSE affiliated school the transfer certificate of a previous school such a student may be countersigned by the Regional Officer of the Board or the Assistant Commissioner of the KVS or the Deputy Director, Navodaya Vidyalaya Samiti in India or an officer of the Board at the Head Quarters and by the First Secretary/Attache/Cultural Attaché or an equivalent officer of the Embassy/High Commission of India in the concerned country in respect of students studying in an affiliated school of the CBSE situated outside the country and the student shall not be admitted to a school without such a counter signature.

यह नियम परीक्षा समिति को ०३-०५-१९९९ की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा १३-०५-१९९९ की बैठक में अनुमोदित किया गया।

* Rule amended in the Examination Committee's meeting of 7.5.1999 and approved by the Governing Body at its meeting held on 13.5.1999